पुलिस के दलालों पर कब कार्रवाई होगी डीजीपी साहब!

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा करने वाले डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कुर्सी संभालते हुए संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का संकल्प भले ही जताया है लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने विभाग में चल रहे संगठित भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। थाने, चौकी में दलालों और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से चल रहे इस भ्रष्टाचार की जानकारी तो मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व डीजीपी तक को थी लेकिन दलालों में बड़े भाजपा नेताओं का नाम सामने आने पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले खट्टर और पिछले डीजीपी जानबूझ कर अनदेखी कर गए।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस विभाग में पैसे के बल पर बहुत कुछ कराया जा सकता है। थाने- चौकी में झूठा केस दर्ज कर मुकदमे में फंसाने, लड़ाई झगड़े के हल्के फुल्के मामले को गंभीर धाराएं लगवाने, थाना चौकी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री बिना रोकटोक करने, अवैध खनन, अवैध कब्जे करने, बड़े अपराधियों को गिरफ्तारी से बचाने जैसे अनेक काम के लिए पैसा चलता है। यातायात चालान के भारी जुर्माने की रकम को कम करवाने के लिए भी सुविधा शुल्क वसूली का खेल चलता है। विभाग की छवि खराब न हो इसलिए थाने-चौकी पर पुलिसकर्मी सीधे सुविधा शुल्क नहीं लेते। यह काम थाने-चौकियों में मौजूद दलाल करते हैं।

इन दलालों का पुलिस पर इतना प्रभाव है कि अवैध कब्जे, खनन, चोरी, यहां तक कि हत्या तक के मामलों की जांच की दशा-दिशा इनके ही इशारों पर तय की

डीजीपी शत्रुजीत कपूर

जाती है। महकमे के इस भ्रष्टाचार का खुलासा अक्तूबर 2022 में करते हुए तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था संदीप खिरवार ने फरीदाबाद में सक्रिय 45 दलालों की सूची जारी की थी।

दलालों की इस सूची में केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर के मामा राजपाल सहित कई गांवों के सरपंचों और सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के नाम शामिल थे। एडीजीपी के अनुसार इस तरह के दलालों के कारण समाज में गलत संदेश जाता है और पुलिस विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। उन्होंने सूची जारी करते हुए पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा से इन दलालों पर नज़र रखने, अंकुश लगाने और इनकी कारगुजारियों की गुप्त रिपोर्ट बना कर भेजने का आदेश जारी किया था।

विभाग की छवि धूमिल होने से बचाने के लिए आयुक्त विकास अरोड़ा ने मातहतों को निर्देश दिए लेकिन मोटी कमाई के लालची पुलिस कर्मियों ने मामा राजपाल सहित अन्य दलालों को इसकी सूचना दे दी। कार्रवाई रुकवाने के लिए भ्रष्टाचारियों ने चाल चलते हुए इस गुप्त सूची को सार्वजनिक कर दिया। सूची सार्वजनिक होने और उसमें दलाल भाजपाइयों के नाम सामने आते ही चर्चाएं होने लगीं। सरकार और भाजपा की छवि धूमिल होते देख केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर और सरकार तुरंत सक्रिय हो गए, नतीजा दलालों पर कार्रवाई की फाइल पर लाल फीता लपेट कर कहीं नीचे दबा दिया गया। सूची सार्वजनिक हुए दस माह बीत चुके हैं कार्रवाई तो दूर थाने चौकियों में इन दलालों का काम बदस्तूर जारी है, और पुलिस भी वेतन से इतर मोटी आय करने में जुटी है।

बिजली निगम के मुखिया रहते हुए भ्रष्टाचार पर काबू करने के लिए शत्रुजीत कपूर ने जिस तरह मातहतों के पेच कसे थे उसी तरह पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्हें पहले पुलिस-दलाल गठजोड़ पर प्रहार करना चाहिए। इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 45 दलालों की सूची तो उनके पास है ही, बस उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सिर्फ दलालों पर ही कार्रवाई नहीं की जाए उन पुलिसकर्मियों पर भी अंकुश लगाया जाना जरूरी है जो दलालों के नेटवर्क से जुड़े हैं ताकि यह पूरा नेक्सस खत्म हो।

वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने शत्रुजीत कपूर को डीजीपी बनाया है। अब देखना ये है कि कपूर भ्रष्टाचार पर अपने पुराने तेवर बरकरार रख पाएंगे या फिर मुख्यमंत्री के अहसानों का बदला चुकाने के लिए खट्टर के यस मैन बन कर रह जाएंगे।

वर्दी वाले गुंडों पर कार्रवाई करो कपूर साहब

नागरिक वेषभूषा में घर में घुस कर पुलिस वालों ने महिलाओं को पीटा, इन पर भी दर्ज हो केस, मिले सज़ा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बसेलवा कॉलोनी गली नंबर दस निवासी साहिल के घर रविवार सुबह दो बदमाश घुस गए, कोई बाहर से अंदर न आ पाए इसलिए बदमाशों का एक साथी दरवाजे पर पहरा देने रुक गया।

अंदर इन बदमाशों ने साहिल से हाथापाई शुरू की, बीचबचाव करने आई साहिल की मां को इतने थप्पड़ मारे कि वह बेहोश हो गईं। गोद में दो माह की बच्ची लिए उसकी पत्नी से भी अभद्रता की और मोबाइल छीन लिया। परिवार वालों ने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। घिरा हुआ देख हमलावरों ने बताया कि वे पुलिस वाले हैं। लोगों ने सवाल किया कि यदि पुलिसकर्मी हैं तो वर्दी में आते और घर में घुसने का सर्च वारंट भी लाते। कोई जवाब नहीं सूझा तो तीनों पुलिसिया धमकियां देते हुए वहां से खिसक लिए।

साहिल के अनुसार सादे कपड़ों में आए इन तीन पुलिसकर्मियों में एक उम्मेद और दूसरा महावीर था, तीसरे का नाम नहीं पता है। लोगों का कहना है कि कोई यदि किसी के घर में बिना इजाजत घुस कर मारपीट करे जान से मारने की धमकी दे और छीनझपट करे तो पुलिस उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 506 और 379ए जैसी धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने में जुट जाती है। कानून की पालना कराने वाले इन पुलिसकर्मियों ने न केवल इन धाराओं के तहत अपराध किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया। बनाम राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि यदि

पीड़ित साहिल

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार करने वाले सभी पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में होंगे उनकी वर्दी पर स्पष्ट नाम दर्शाने वाली पट्टी होनी चाहिए। पकड़े गए व्यक्ति से मारपीट मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बिना वर्दी साहिल के घर में घुसे उम्मेद और महावीर ने तो वर्दी ही नहीं पहनी थी। उनके पास कोई वारंट या सम्मन भी नहीं था ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि वे ड्यूटी पर थे।

दरअसल ये पुलिस वाले साहिल को 3 जून को सेक्टर 16 में हुई मारपीट के मामले में पकड़ने आए थे जिसमें शिकायतकर्ता ने उसका नाम तक नहीं दिया था। साहिल का दावा है कि पीड़ित पुष्कर ने खुद पुलिस और अदालत में शपथपत्र दिया है कि मारपीट में वह शामिल नहीं था। आरोप है कि पुलिस वाले उस नाम को हटाने के लिए जो है ही नहीं उससे रुपये ऐंठने के लिए दबाव बना रहे थे। बताते चलें कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि नोटिस देकर बुलाया जाएगा। ऐसे में पुलिस वालों का बिना वर्दी साहिल के घर में घुसना भी नाजायज था। साहिल का दावा है कि इस केस में वह था ही नहीं पुलिस वाले उसे जबरन फंसा रहे हैं। यदि साहिल की बात सच है तो पुलिस कर्मी आईपीसी की धारा 116 ए (बी) के तहत भी दोषी हैं। यह धारा के अनुसार कोई पुलिसकर्मी गलत व दूषित अनुसंधान कर किसी निर्दोष को गलत मामले में नहीं फंसा सकता। यदि वह ऐसा करने का दोषी पाया गया तो छह माह के कठोर कारावास से लेकर अधिकतम दो वर्ष कैद की सजा हो सकती है।

प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त करने का दावा कर रहे डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी अपने संगठन में इस तरह के अपराधियों पर भी अंकुश लगाओ। बदमाशों की तरह घर में घुस कर महिलाओं को पीटने वाले यह पुलिसकर्मी भी कानून के अधीन हैं, तो उन पर भी संगत धाराओं में केस दर्ज कराओ साथ ही विभागीय जांच करा इन्हें सजा दिलवाओ तब ही महकमे के भ्रष्ट कर्मचारियों में सुधार आने की कोई संभावना हो सकती है, वरना जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

डीजीपी कपूर साइबर थानों को किसी काम लायक बना पाएंगे ?

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) किसी थाने के ऊपर साइबर क्राइम का फट्टा लगाने से वह साइबर अपराधों को पकड़ने लायक नहीं बन जाता, इसके लिए साइबर एवं कंप्यूटर साइंस को समझने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इसके साथ-साथ काम करने की नीयत व ईमानदारी का होना उससे भी कहीं अधिक जरूरी है।

मौजूदा हालात तो ऐसे हैं कि अपराधियों का विवरण दिए जाने के बावजूद भी पुलिस की नीयत उन्हें पकड़ने के बजाय ले-दे कर काम को निपटाने की होती है। इसका जीता जागता उदाहरण दिनांक 14 मई को शिव कुमार जोशी एडवोकेट द्वारा थाना सेक्टर सात में दर्ज कराई गई एफआईआर नंबर 372 है। जेब से मोबाइल फोन चुराने की वारदात के करीब छह सात घंटे बाद दर्ज की गई एफआईआर पर तुरंत कार्रवाई करने के बजाय पुलिस वाले मुंह ढक कर सोते रहे। इस दौरान अपराधियों ने उनके अकाउंट से 1,36,520 रुपये भी निकाल लिए, इसकी सूचना भी जोशी ने पुलिस को दी, उसके बाद भी पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिकायतकर्ता जोशी ने अपने प्रयासों के बल पर वारदात करने वाले ठग का फोटो भी प्राप्त कर लिया तथा उनके बैंक अकाउंट से निकला हुआ पैसा जिन दो लोगों के पास पहुंचा था उनको भी उन्होंने ट्रेस कर लिया। अपनी सारी मेहनत एवं कार्रवाई से जब उन्होंने पुलिस को अवगत कराया तो पुलिस अपराधियों तक पहुंच तो गई लेकिन उनको उठा कर लाने के बजाय केवल थाने में आने का नोटिस देकर आ गई।

हफ्तों तक पुलिसिया कार्रवाई देखते रहने के बाद शिकायतकर्ता जोशी पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा तथा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के चक्कर लगा कर अब आराम से बैठ गए हैं। फिलहाल उन्होंने मान लिया है कि पुलिस के संरक्षण में काम करने वाले अपराधियों को पकड़ने व माल बरामद करने में पुलिस की कोई रुचि लगती नहीं है।

अब डीजीपी कपूर साहब के लंबे चौड़े आकर्षक दावों की रौशनी में जोशी को कुछ उम्मीद तो जगी है, देखना है कि उनकी ये उम्मीद पूरी होती है या कपूर के दावे भी किसी दिवास्वप्न की तरह ही भंग होने वाले हैं।